23-7-24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। अन्तिम अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28-8-24 को पेश हो।

28-8-24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। जिन्होंने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी वाद ग्रस्त आराजी को लेकर प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। मदाखलत मजाहमत करता है व आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आतारू है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि व ऐसा कृत्य न स्वयं करे व किसी अन्य से करावे।

वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी बावजूद तामील उपस्थित नहीं है। एवं विपक्षी के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। अतः मौजा आमडी परगना किनोर के खाता सं० 61 में स्थित आ०नं० 3625/3496 रकबा 0.81 है० पर मूल वाद के निस्तारण तक मौके एव रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी उक्त आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे। मदाखलत

P.T.O.